




समक्ष :- श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, कैम्प जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका कं. 2/निगरानी/कटनी/भूरा/2017/2995



1. राजकुमार जैन (मृत) द्वारा - वारसान्
- अ. राजीव कुमार जैन, उम्र लग. 52 वर्ष
- ब. राहुल कुमार जैन, उम्र लग. 48 वर्ष
- दोनों पिता स्व. राजकुमार जैन
निवासी-रघुनाथ गंज वार्ड, कटनी
- स. श्रीमती रश्मि जैन, उम्र लग. 50
- द. श्रीमती रचना जैन, उम्र लग. 47 वर्ष
- इ. श्रीमती रागिनी जैन, उम्र लग. 40 वर्ष
- सभी पिता स्व. राजकुमार जैन
2. त्रिलोकचंद जैन पिता स्व. गरीबदास जैन
उम्र लग. 72 वर्ष,
3. पदम कुमार जैन पिता स्व. गरीबदास जैन
उम्र लगभग 70 वर्ष,
दोनों निवासी-रघुनाथ गंज वार्ड कटनी म.प्र.

350



..... पुनरीक्षण / याचिकाकर्तागण

बनाम

1. सुंदरलाल वल्द अर्जुनदास
2. सुरेश वल्द अर्जुनदास
दोनों निवासी- कटनी, जिला-कटनी म.प्र.
3. राजकुमार वल्द बृजलाल
निवासी-दमोह, जिला-दमोह म.प्र.
4. सुलोचना पुत्री बृजलाल
5. मंजूदेवी पुत्री बृजलाल
निवासी-दमोह, जिला-दमोह म.प्र.
6. मंशाराम वल्द मोहनदास
निवासी-गोल बाजार कटनी, तह. व जिला-कटनी म.प्र.

..... उत्तरार्थीगण


पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता ।

पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय कटनी के अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के संबंध में दी गई प्रारंभिक आपत्ति दिनांक 30.04.2015 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 से क्षुब्ध व पीड़ित होकर निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका निणयार्थ प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/कटनी/भू.रा./2017/2995

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर, जिला कटनी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला कटनी</u></p>	